	हुक्म या कार्यवाही पर इंतिहासात्मक नोट अमर सिंह बनाम तहसीलदार नीमराना	हुक्म या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1-12-21 आज वाद पत्रावली प्रस्तुत होने के बाद विभिन्न ग्रा.पं. नीमराना चकों पर पेश हुई पत्रावली के पुनः अवलोकन से प्रकट है कि आराजी नं. 226, 227, 270, 431, 460, 700/1013, 712, व 261, 261/978, 264, 413, 420, 492, 512, 683, 844, 931, 932, व 235/997, 334, 340, 882, व 188 वाले ग्राम नीमराना चक तह. नीमराना जिला अलवर (राज.) के खातेदारी कोलोम में जहां पर इनके सिवाय पुत्र राम पत दर्ज है। उसे वादी के आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र बैंक पास बुक, पेन कार्ड आदि व मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार किया जाकर उसके स्थान पर अमर सिंह पुत्र रामपत दर्ज किये जाने की घोषणा की जावे। इसी अनुसार सब रामपत निकाल जमाबन्दी में अंकन करवाने के आदेश फरमावे। हमने वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः आ.ख.न. 226, 227, 270, 431, 460, 700/1013, 712, व 261, 261/978, 264, 413, 420, 492, 512, 683, 844, 931, 932, व 235/997, 334, 340, 882, व 188 वाले ग्राम नीमराना चक तह. नीमराना जिला-अलवर (राज.) में जहां पर इनके सिवाय पुत्र राम पत दर्ज है। उसके स्थान पर अमर सिंह पुत्र राम पत [illegible] किये जाते हैं। बोल [illegible] तहसीलदार नीमराना [illegible] अमल दरामद हेतु आदेश [illegible] पेश्तर सुधार के बाद नम्बर है [illegible] प्रति वादी को [illegible] है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukut Singh
Date: 2023.01.27 17:17:21 IST
Reason: SelfAttested

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
अलवर (राज.)